



क्र./शिक्षक-शिक्षा/30-1 बी.एड/पाठ्यक्रम/2015-16 7803

रायपुर दिनांक 25.12.2015

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला .....(छ.ग.)

**विषय :-** जिले के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों (बी.एड.कालेज) के बी.एड. प्रशिक्षार्थियों के शाला अनुभव कार्यक्रम (स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम) के संबंध में निर्देश।

**संदर्भ :-** सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 04.12.2015 को परिषद् में ली गई बैठक।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रथम वर्ष 04 सप्ताह के शाला अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत 02 सप्ताह किसी मिडिल स्कूल एवं 02 सप्ताह किसी अन्य हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य किया जाना है। इस संबंध में सचिव, स्कूल शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ 6-13/2015/20-तीन/दिनांक 17.08.2015 से एक मार्गदर्शिका जारी की गई है जिसे एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

मार्गदर्शिका के अनुसार अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों के शाला अनुभव कार्यक्रम हेतु शालाओं का आबंटन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक सत्र किया जावेगा। इस हेतु शाला के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अधिकृत नहीं होंगे।


शाला अनुभव कार्यक्रम के लिए निजी शिक्षा महाविद्यालयों को विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय स्तर पर कठिनाई आती है। अतः इस संबंध में अपने जिले में संबंधित निजी शिक्षा महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों सहित मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों व हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को भी आमंत्रित करते हुए एक बैठक आयोजित कर शाला का आबंटन करें। आपके द्वारा किया गया आबंटन मात्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। शाला आबंटन कार्य के समय निम्नानुसार बातों पर ध्यान रखा जावे -

1. शाला अनुभव कार्यक्रम का कार्य छात्राध्यापकों के द्वारा दो-दो के समूह में किया जावेगा।
2. 150 तक की दर्ज संख्या वाली शालाओं को छात्राध्यापकों के अधिकतम दो समूह (चार छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।



3. 150 से 200 तक की दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम तीन समूह (छः छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।
4. 250 से अधिक दर्ज संख्या वाले शालाओं में छात्राध्यापकों के अधिकतम चार समूह (आठ छात्राध्यापक) भेजा जा सकेगा।
5. यदि किसी शाला में कुल दर्ज संख्या 100 से कम हो, तो इस शाला में छात्राध्यापकों को नहीं भेजा जावेगा।


इस प्रकार से उक्त बैठक में प्रत्येक महाविद्यालय को आबंटित शालाओं की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित महाविद्यालय, उनके लिए आबंटित शालाओं के प्राचार्यों के उन्मुखीकरण का कार्य अनिवार्यतः करें। कृपया उक्तानुसार तैयार की गयी सूची की एक प्रति सचिव, स्कूल शिक्षा एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें। इस हेतु अधिक जानकारी श्री आर.के. वर्मा, प्राध्यापक, एस.सी.ई.आर.टी.से प्राप्त की जा सकती है।

  
(संजय कुमार ओझा)

संचालक

पृ. क्र./शिक्षक-शिक्षा/30-1 बी.एड/पाठ्यक्रम/2015-16 7804 रायपुर, दिनांक... 26.12.2015  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर को उनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, समस्त बी.एड. संचालित विश्वविद्यालय ..... को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त बी.एड. संचालित महाविद्यालय ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
संचालक